रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253204 CG-DL-E-18032024-253204

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1402]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2024/फाल्गुन 28, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2024/PHALGUNA 28, 1945

No. 1402]

# संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

का.आ. 1471(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (3) तथा धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, श्री अनिल कुमार लाहोटी को 30 जनवरी, 2024 से तीन वर्ष की अविध के लिए जो उक्त पद के लिए उनके प्रभार ग्रहण करने की तारीख है, या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 10-01/2023-Restg.] देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

2083 GI/2024 (1)

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (Department of Telecommunications)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2024

**S.O. 1471(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 read with subsection (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Shri Anil Kumar Lahoti, as the Chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) for a period of three years from the 30th January, 2024, which is the date of his assumption of charge to the said post, or until he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earlier.

[F. No. 10-01/2023-Restg.] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.